-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को सूचना के 05 घण्टे मे भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के ई-रिक्शा, मोबाइल फोन, रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा व कारतूस आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को सूचना के 05 घंटे के भीतर चोरी के ई-रिक्शा सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कल दिनांक 13.10.2025 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम इंगुवा के रहने वाले ई-रिक्शा चालक दीपक पुत्र मुन्ना ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि दिनांक 12.10.2025 की रात्रि को रेलवे स्टेशन पर सवारी लेने के लिए गया था तभी एक मोटरसाइकिल पर 03 व्यक्ति आये और मवई से चलकर सामान लाने के लिए कहा और मोटरसाइकिल से 02 व्यक्ति उतरकर मेरे ई-रिक्शा में बैठ गए और उनका सामान लेने के चल दिया तथा मोटरसाइकिल चालक भी पीछे-पीछे चल दिया। ग्राम मवई तालाब के पास मै पेशाब करने के लिए उतरा तभी तीनों व्यक्ति मेरा ई-रिक्शा लेकर भाग गए। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मवई आर्यन/रेंजर ढाबा से पहले कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल व ई-रिक्शा के साथ खड़े है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी के ई-रिक्शा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं तलाशी के दौरान चोरी के रुपए, मोबाइल फोन आदि तथा अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ चच्चा के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 ई-रिक्शा (चोरी के)
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस
- 02 मोबाइल फोन(चोरी के)
- 600 रुपए (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वीरेन्द्र उर्फ वीरेन्द्रा उर्फ चच्चा पुत्र गंगादीन निवासी डांडिन पुरवा महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. अशोक पुत्र लक्ष्मी निवासी घंसौर थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
3. सिकंदर पुत्र मुन्ना निवासी पड़री थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 794/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0निरी0 कोतवाली नगर
2. श्री राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
3. हे0कां0 सतेन्द्र कुमार
4. हे0कां0 गोकुलेश मिश्रा
5. कां0 ऋषभ सोनी